

चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

प्रिलमिस के लिये:

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

मेन्स के लिये:

चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'गृह मंत्रालय' (Ministry of Home Affairs- MHA) ने 'सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम' (Border Area Development Programme-BADP) के तहत चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दशा-नरिदेश जारी किये हैं।

प्रमुख बडि:

- गौरतलब है कवित्तीय वर्ष 2020-21 में 'सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम' हेतु 784 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई और जनसंख्या जैसे विभिन्न मानदंडों के तहत इस धनराशिको वितरित किया जाएगा।
- भारत और चीन के बीच हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिये बुनियादी ढाँचे का निर्माण एक रणनीतिक कदम है।
- ध्यातव्य है कवित्तीय वर्ष 2019-20 में 'सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम' हेतु 825 करोड़ रुपए आवंटित किये गए थे।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(Border Area Development Programme-BADP)

- 'सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम' की शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1985-90) के दौरान की गई थी।
- वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत 17 राज्यों के 111 सीमावर्ती जिलों के 394 सीमा खंड शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक खुशहाली और उन्हें कनेक्टिविटी संबंधी सुविधाएँ, स्वच्छ पेयजल, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य सुविधाएँ सुलभ कराना।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दशा-नरिदेश:

- नए दशा-नरिदेशों के अनुसार, 'सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम' की 10% (कुल धनराशि में से 78.4 करोड़ रुपए) धनराशि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिकिम में परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। साथ ही चीन से लगने वाली 3488 किलोमीटर सीमावर्ती क्षेत्रों को भी सुदृढ़ किया जाएगा। ये दशा-नरिदेश 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हैं।
- इन राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गांवों और कस्बों को सीमा सुरक्षा बलों द्वारा चहिनति कर परियोजनाओं पर खर्च किया जाना है।

Extra attention

The government has decided to boost infrastructure along the 3,488 km border with China

₹78.4 CRORE FUNDING: The amount will be spent on projects in villages in Ladakh, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim



PROJECTS THAT CAN BE FUNDED: Roads, bridges, culverts, mini stadiums, community health centres, primary schools and hostels, apart from supply of medical equipment to hospitals

WHO WILL CHOOSE THE PROJECT? The border guarding forces will play a key role in choosing the project

- 'सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम' की 10% धनराशि बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिये प्रोत्साहन के रूप में आरक्षणित किया जाएगा।
- 'सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम' की शेष 80% धनराशि में से 255.28 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर राज्यों जैसे- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिकिम में खर्च की जाएगी।
- बहिर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को लगभग 382.9 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की जाएगी।
- 'सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम' कोष से सीमावर्ती क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के भीतर सड़क, पुल, पुलिया, प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य ढाँचा, खेल के मैदान, सचिवाई कार्य, मर्नि-स्टेडियम, बास्केटबॉल के लिये इन्डोर कोर्ट, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का निर्माण किया जाएगा।

उद्देश्य:

- अवसंरचना विकास संबंधी यह परियोजना सीमावर्ती क्षेत्रों को आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ने में सहायक होगा।
- देश की सुरक्षा को लेकर लोगों के बीच एक सकारात्मक धारणा बनेगी।
- लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने के लिये प्रोत्साहित करना।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों तथा सैन्य उपकरणों को शीघ्रता से पहुँचाना।

स्रोत: द हिंदू